रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4040] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2019/अग्रहायण 26, 1941
No. 4040] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2019/AGRAHAYANA 26, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4499(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3262 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य ''थेरथंगल कन्माई'' के नाम से जाना जाता है जो दक्षिणी तमिलनाडु के नैनरकायल तालुक में स्थित है और यह रामानाथापुरम जिले के थेरथंगल ग्राम का भाग है यह अभयारण्य रामनाद मुख्य नगर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अभयारण्य में प्रवासी, आवासी पक्षियों और पौधों की कई प्रजातियों के लिए वास है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के रामानाथापुरम जिला में अक्षांश 09°27.499' उ और देशांतर 078°45.536'पू के बीच स्थित है और यह 0.29295 वर्ग किलोमीटर (29.29.5 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है। अभयारण्य जी.ओ. डब्ल्यू6/220 ई एंड एफ (एफ आर. V) तारीख 15 दिसम्बर, 2010 के द्वारा थेरथंगल पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के अर्थ और क्षेत्र के अधीन पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया;

और, इस पक्षी अभयारण्य में विश्व के कई भागों से विभिन्न प्रजातियों की पक्षियां भोजन और घोंसले बनने के लिए आती हैं। ऋतु के दौरान लगभग 15000 पक्षियों से संबंधित 42 प्रजातियां सूचीबद्ध की गई है और महत्त्वपूर्ण पक्षियों में वाइट इबिस, ब्लैक इबिस, ओपन-बिल्ड स्ट्रोक, इगरेट, मैना, टील्स, डक्स, डारटर, हेरोंस, पेलिकंस आदि सम्मिलित हैं। पक्षी अभयारण्य में लगभग संकटापन्न प्रजातियों की प्रजातियों समृद्धता है जैसे पेलिकन, पेंटएड स्टोर्क, यूरेशियन स्पौन बिल्ल, वाइट इबिस, डारटेर, फ्लेमिंगो और जलीय पक्षियों जैसे सामान्य कुट, पिन टेल, गर्गनी, एग्रेट्स, कॉर्मोरेंट्स, ब्लैक विंगड स्टिल्ट, किंग फिशर, सामान्य मैना, बर्हमनि काइट, स्पोट्रेड ओवलेट आदि हैं;

और, यह अभयारण्य शीत ऋतु के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए बेहतर वास स्थल है और यहां प्रजनन और भोजन के लिए घोंसले बनाने और भोजन आचरण में काफी विविधता है। यह दक्षिण भारत में प्रवास करने वाली हेरोनरी प्रजातियों और औपनिवेशिक पक्षियों के लिए घोंसले बनने का एक मुख्य स्थल है। अभयारण्य में पंख वाले पक्षी समूह अक्टूबर से फरवरी तक आते हैं। आर्द्रभूमि गहराई में विषमता है और यदि वर्षा सामान्य है, तो 3 से 5 महीने तक जल रूका रहता है। सफल प्रबंधन उपायों पर विचार करने से विविध प्रजनन प्रजातियों और शीतकालीन प्रजातियों को विविधता में वृद्धि करने के लिए आकर्षित किया जाएगा जिससे अधिक पर्यटकों, पक्षीविदों और छात्रों को आकर्षित होंगें। पक्षियों को देखने के लिए अभयारण्य का दौरा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर-जनवरी है जब पक्षियों की संख्या और प्रजाति की विविधता उच्चतम होती है;

और, अभयारण्य मूल रूप से एक सिंचाई टैंक है जिसका उपयोग अक्टूबर से जनवरी तक पूर्वोत्तर मानसून द्वारा रिचार्ज किए गए कृषि के लिए जल भंडारण के लिए किया जाता है। टैंक मार्च से अगस्त तक पूरी तरह सूख जाता है। अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है, अभयारण्य के भीतर कोई प्राकृतिक वन नहीं है। वन विभाग द्वारा बबूल (अकैशिया निलोटिका*)* बागानों को स्थापित किया जाता है। टैंक बांध और फोरशोरे में अन्य प्रमुख वनस्पति नयूरिवि *(अचीरेन्थस असपेरा एल.*), पनाई *(बोरस्सूस फलाबेल्लीफेर एल.*), इरूक्कू *(कलोटरोपिस गिगंटेया* (एल.) आर.बर.), अवराम अवारिया *(सेन्ना अयरिकुलाटा* (एल.) रोक्ब.), पुलिया मराम *(टमरिंडुस इंडिका एल.*), नाई कदुगु, नाई वैलेइ *(क्लेओमे विस्कोसा एल.*), नटवादुमई, नाट्टु बादाम *(टर्मिनलिए कटप्पा एल.*), नैवेलिकटममनाक्कु *(ल्योमोइयि करानिया जक्.*), रेल पौंदु *(करोटों बोंप्लांदिअनुम बिल्ल.*) आदि हैं;

और, अभयारण्य में सिंचाई टैंक होने के कारण बहुत ही कम जीवजंतु प्रजातियां (पक्षी-जीव को छोड़कर) हैं जिसमें (एक्सेप्ट अविफना) इंडियन ग्रे नेवला *(हेरपूस्टेस इडवारदे)*, भारतीय पाम गिलहरी *(फनाम्बुलुस पल्मारूम)*, सियार (*कैनिस ऑरियस*), ब्लैक-नैपेड हेरे*(लेपुस निगरिकोल्लिस)* और बंदीकोट रेट *(बंदीकोटा बेंगालेंसिस)* सम्मिलित हैं। अभयारण्य में पक्षियों की अच्छी विविधता जैसे लिटिल ग्रेबे (टचयबपटुसरूफिकोल्लिस*)*, स्पोट-बिल्लेड पेलिकन (पेलेकनुस्फिल्लीप्पेंसिस*)*, लिटिल कॉरमोरेंट (फलाकरोक्रक्रिगेर*)*, ग्रेट कोरमोरेंट *(फलाक्रोकोरक्कारबा)*, डारटेर *(अंहींगा मेलानोगस्टेर),लिटिल इग्ररेट (इगरेट्टागरजेट्टा),ग्रे हेरोन* (अरदेकीनेरिया) आदि *हैं*;

और, अभयारण्य में तितलियों, सरीसृपों और उभयचरों की कई प्रजातियां हैं। सरीसृपों में *हाउस गेक्को (हेमिदाकअलुस फरेनाटुस), स्पाट्रेड इंडियन गेक्को (हेमिदाचटयलुस बरौकि)*, गार्डन लिजार्ड *(कलोटेस वेरसिकोलोर)*, ग्रीन छिपकली *(कलोटेस कलोटेस),मॉनिटोर छिपकली (वरनुस बेंगालेंसिस)*, सामान्य भारतीय स्किंक *(इयट्ररोफिस करिनाटा) आदि सम्मिलित हैं; उभयचरों के उदाहरण* सामान्य भारतीय टोड *(दुट्टाफरयनुस मेलानोस्टिकटुस)*, ओरनट नर्रोव मोउथेड फरोग *(मिकरोहयला ओरनाटा),सामान्य स्कीट्रेरिंग मेंढक (इयफल्यकट्स चयानोफल्यकटिस)* आदि हैं। अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण दुर्लभ और संकाटापन्न प्रजातियां है। दुर्लभ प्रजातियों में ग्रेट कॉरमोरेंट *(फलाक्ररोकोरक्स करबो)*, पर्पल हेरोन *(अरदिया किनेरिया)*, कॉम्ब बत्तख *(सरकिदिओरनिस मेलानोटोस)*, उत्तरी सोवेल्लेर *(अनास* क्लीपेटा*)*, सामान्य टैल *(अबास करेक्का)*, सामान्य रेडस्हांक *(टरिंगा टेटानुस)*, और सामान्य ग्रीनशंक *(टरिंगा नेबुलारिया) शामिल हैं। अभयारण्य में संकटापन्न प्रजातियों* स्पोट-बिल्लेड पेलिकन (पेलेकनुस फिल्लिप्पेंसिस*) और पैंटेड स्ट्रोक (मयकटेरिया लेयकोकेफला)* विद्यमान हैं;

और, थेरथंगल आर्द्रभूमि रामानाथापुरम जिला के नैनर कोवील खंड में स्थित है। अभयारण्य के आस-पास और थेरथंगल पंचायत के क्षेत्राधिकार के तहत सिर्फ एक ग्राम थेरथंगल स्थित है। ग्राम की कुल जनसंख्या में से 432 पुरूष और 424 महिलाएं हैं। यहां थेरथंगल ग्राम में 157 परिवार हैं और कुल परिवारों में से आधे गरीबी रेखा के नीचे हैं;

और, भू क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि है और ग्राम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। तथापि, जल समस्या और सूखे की लम्बी अवधि ने ग्रामीणों को आजीविका के अन्य स्रोतों जैसे- पोर्टर्स (कुली) के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप जिले की रूप-रेखा के अनुरूप आस-पास के क्षेत्रों में प्रवासन की उच्च दर भी देखी गयी है। बकरी, भेड़, गाय और कुक्कुट जैसे पशु पालन से ग्रामों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में सहायक हैं। ग्राम में लगभग 26 मवेशी, 387 बकरी/ भेड़ और 222 कुक्कुट है। कृषि का समय न होने पर कुछ ग्रामीण अपनी आय बढ़ाने के लिए चारकोल विनिर्माण के काम में भी लगे होते हैं;

और, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रामानाथापुरम जिले के तमिलनाडु राज्य में थेरथंगल पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.3 किलोमीटर से 1.17 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को थेरथांगल पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 0.3 किलोमीटर से 1.17 किलोमीटर तक और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 4.5718 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा।

(2) थेरथंगल पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के थेरथंगल पक्षी अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख, उपाबंध-II ग** और **उपाबंध-II घ** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूचियाँ **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है ।

(5) प्रमुख बिंदुओं के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

IndiaCode

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वन रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिससे वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

IndiaCode

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**–पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**.-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**–पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**-ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के

अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**-जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय जनित यातायात**.-यानीय जनित यातायात को विरासत-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय जनित यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय जनित प्रदूषण.**-यानीय जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**-पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी । (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त ,2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण) जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि(उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो , पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी ,2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर -प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो ,किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3के उप पैरा) 1 (में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों ,यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के

		बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अनुसार विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा, भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

IndiaCode

26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पटाखों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	चारकोल जलाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	ग्रामीण कारिगरों सहित कुटीर उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए प्रथम मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(1.)	जिला कलेक्टर, रामनाथपुरम	अध्यक्ष, पदेन;
(2.)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(3.)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(4.)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(5.)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(6.)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(7.)	वन्यजीव वार्डन, मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी, रामनाथपुरम	सदस्य सचिव।

IndiaCode

6. निर्देश अवधि.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/09/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

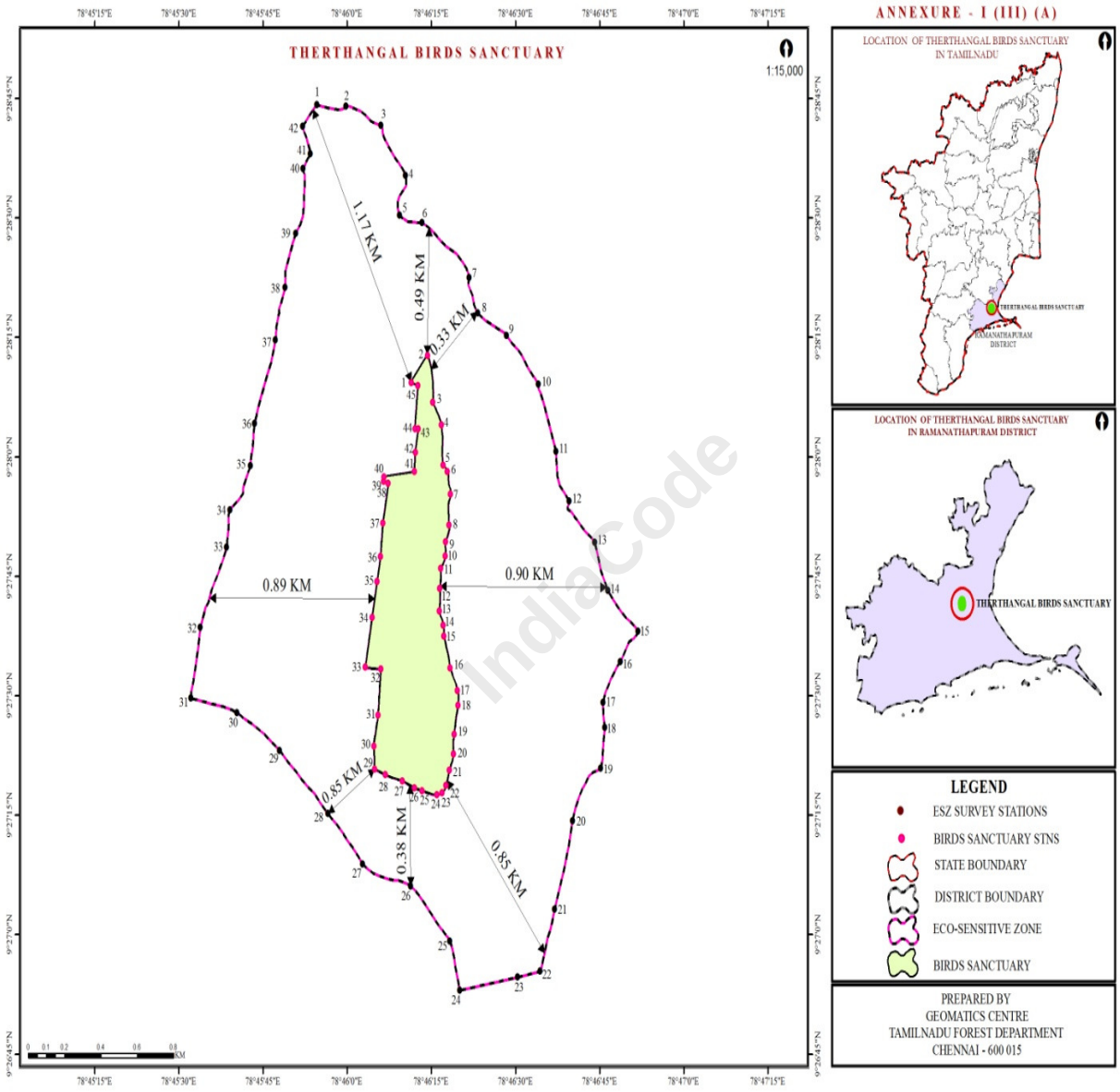
तमिलनाडु राज्य में थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा थीयगवनचेरी-कीलीयूर ग्राम सड़क पर अवरोधन बिंदु की अभयारण्य सीमा से 0.6 किलोमीटर दूर से आरंभ होती है।
उत्तर पूर्व	इसके बाद सीमा दक्षिण पूर्वी दिशा में कीलीयूर- कूलथर ग्राम सड़क के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा कीलीयूर–कूलथूर ग्राम सड़क से इल्लीमूली दृष्टिकोण सड़क के द्विभाजन बिंदु से आरंभ होती है और रामनाद- इल्लीमूली ग्राम दृष्टिकोण सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है यह इल्लीमूली कन्मोई के बांध को छूती है।
दक्षिण पूर्व	सीमा दक्षिण की ओर इल्लीमूली कन्मोई के बांध के साथ जाती है । इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम दिशा में इल्लीमूली कुन्मोई के बांध पर दक्षिणी मुख्य टीप के बिंदु और इसके बाद रामनाद-नैनरकोवील राज्य राजमार्ग के बिंदु को छूती है।
दक्षिण	रामनाद-नैनरकोवील राज्य राजमार्ग के बिंदु से आरंभ होती है जो रामनाद नैनरकोवील राज्य राजमार्ग के अवरोधन बिंदु थेरथंगल ग्राम दृष्टिकोण सड़क से 500 मीटर में जाती है। इसके बाद सीमा रामनाद- नैनरकोवील राज्य राजमार्ग के साथ पश्चिम की ओर जाती है।
दक्षिण पश्चिम	रामनाद- नैनरकोवील राज्य राजमार्ग के कीलीयूर ग्राम दृष्टिकोण सड़क के अवरोधन बिंदु से आरंभ होती है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा कीलीयूर ग्राम दृष्टिकोण सड़क के साथ उत्तर की ओर और इसके बाद समानांतर और टियागवनचेरी कन्मोई बांध के बांध के साथ जाती है।
उत्तर पश्चिम	सीमा कीलीयूर ग्राम दृष्टिकोण सड़क के साथ जाती है यह आरंभ बिंदु तक पहुंचती है।

IndiaCode

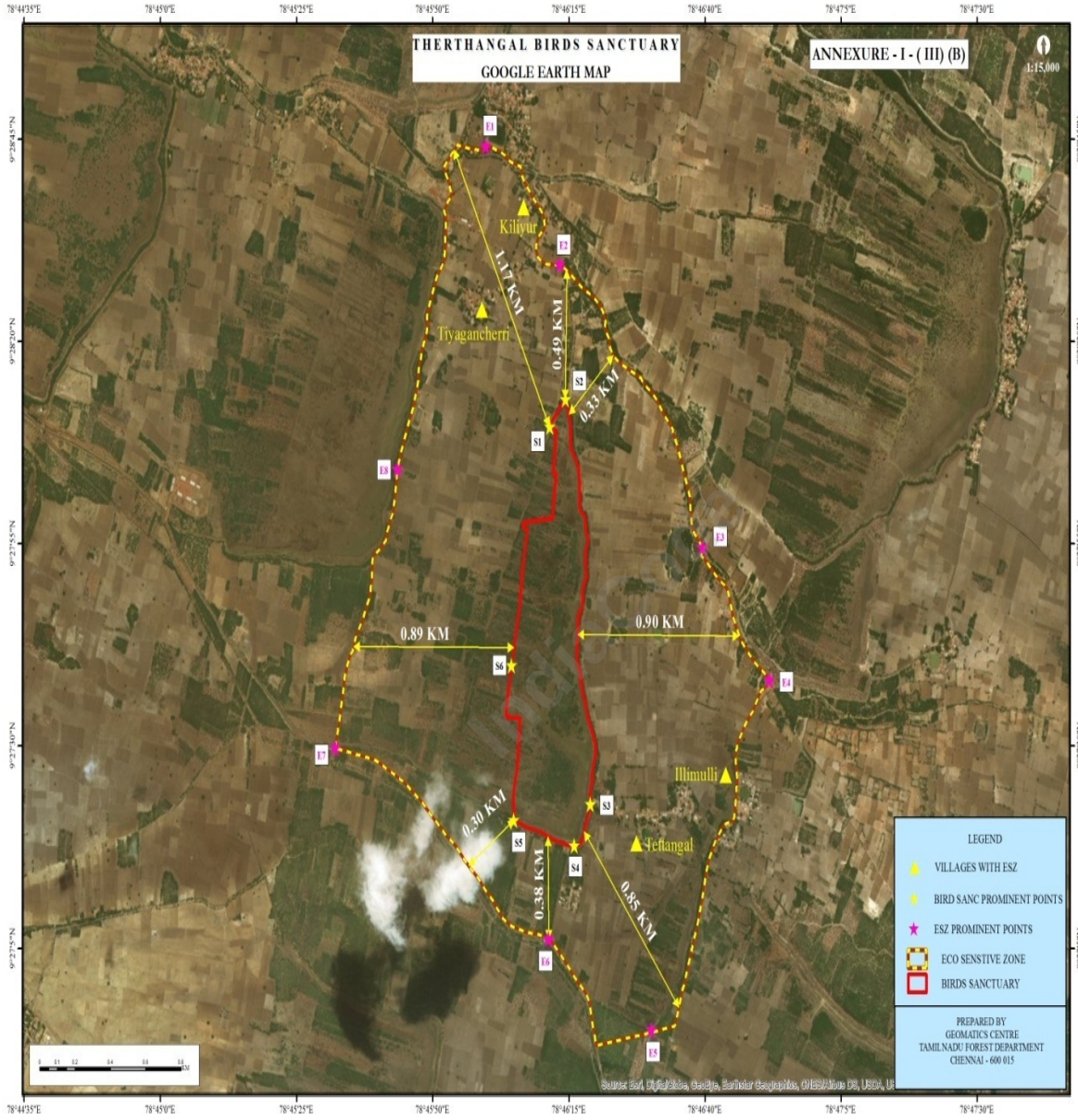
उपाबंध - II क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थेरथंगल पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थिति मानचित्र



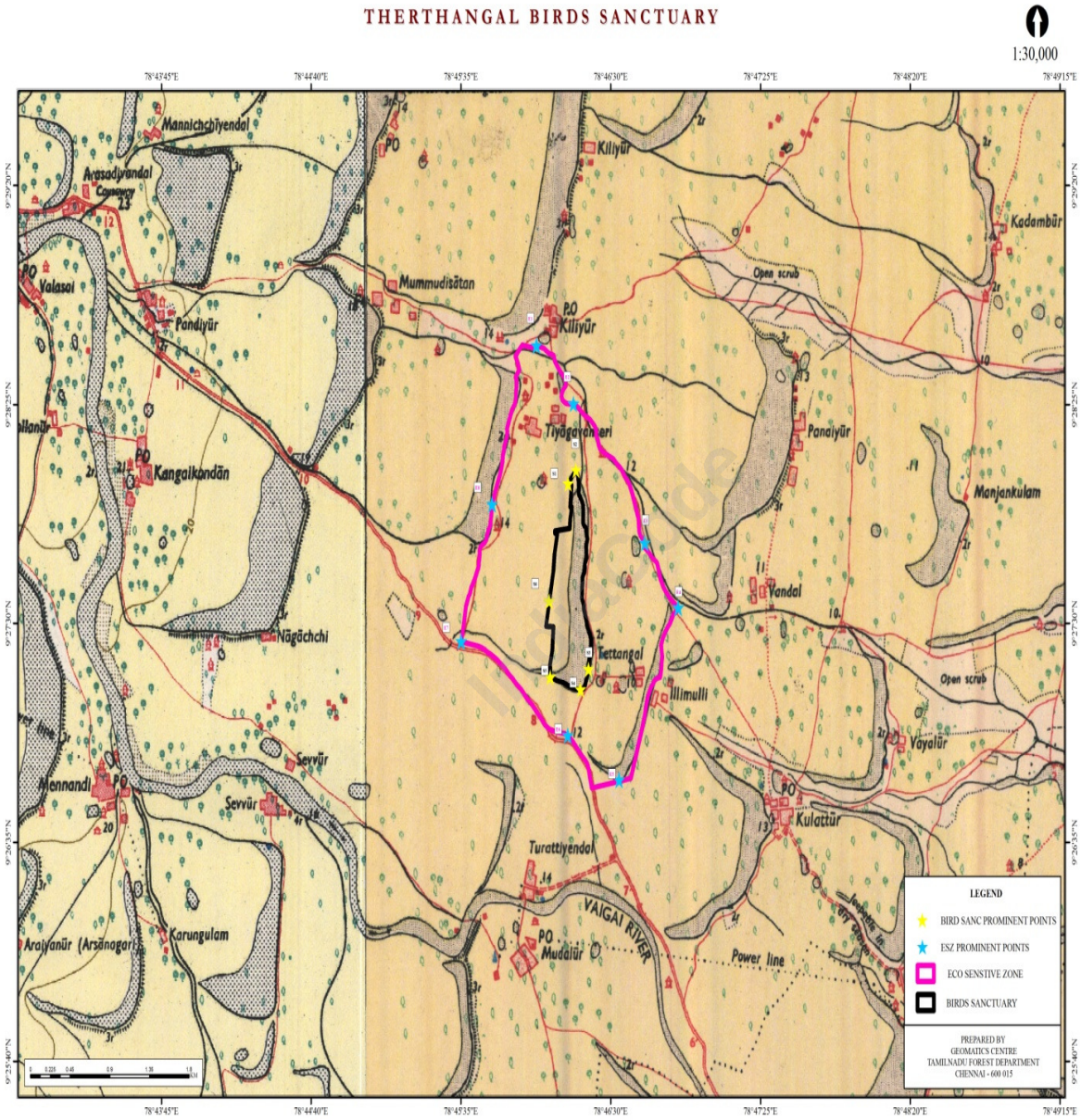
उपाबंध – II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



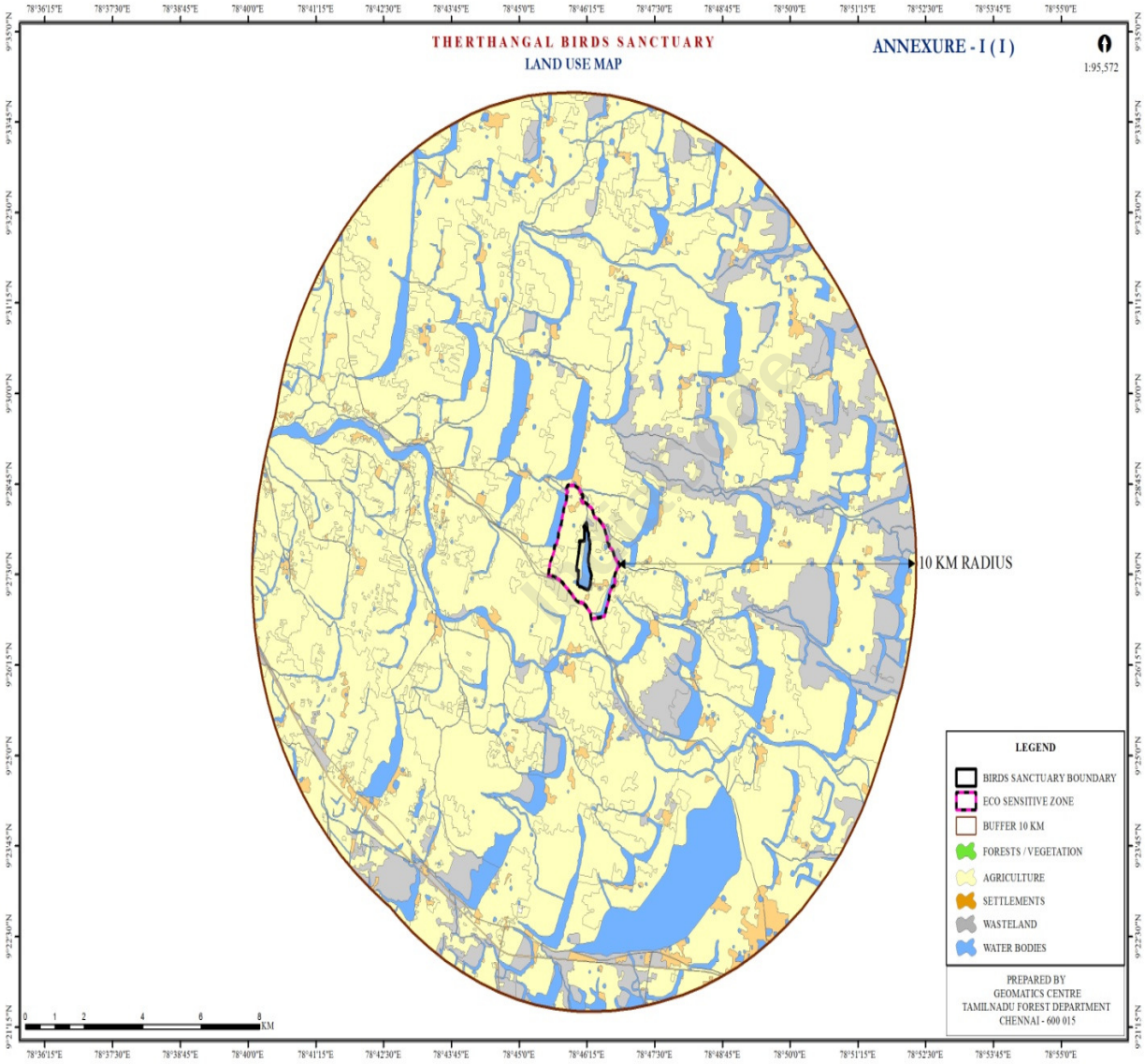
उपाबंध – IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध – IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ 10 किलोमीटर बफर के साथ थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डी.एम.एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी.एम.एस प्रारूप
1	1 (एस1)	उ थेरथंगल कन्मोई की उत्तर पश्चिमी टीप	78°46'11.496"	9°28'9.3792"
2	2 (एस2)	उ थेरथंगल- टियागावअधेरी सड़क के साथ थेरथंगल कन्मोई का उत्तरी टीप	78°46'14.3868"	9°28'12.7668"
3	3	उ पू	78°46'15.3156"	9°28'6.9276"
4	4	उ पू	78°46'16.8276"	9°28'4.0908"
5	5	उ पू	78°46'17.1804"	9°27'59.0148"
6	6	उ पू	78°46'17.9184"	9°27'58.1976"
7	7	पू	78°46'18.4728"	9°27'55.3824"
8	8	पू	78°46'18.1992"	9°27'51.498"
9	9	पू	78°46'17.58"	9°27'49.3632"
10	10	पू	78°46'17.5044"	9°27'47.5704"
11	11	पू	78°46'16.7304"	9°27'46.0512"
12	12	पू	78°46'16.554"	9°27'43.5024"
13	13	पू	78°46'16.4532"	9°27'40.6908"
14	14	पू	78°46'17.1228"	9°27'38.9088"
15	15	पू	78°46'17.3028"	9°27'37.5084"
16	16	पू	78°46'18.408"	9°27'33.5196"
17	17	पू	78°46'19.668"	9°27'30.654"
18	18	पू	78°46'19.8192"	9°27'28.8504"
19	19	पू	78°46'19.1172"	9°27'25.1964"
20	20 (एस3)	द पू ऊपरी जल टैंक के निकट थेरथंगल टैंक के पूर्वी बांध पर बिंदु	78°46'18.9876"	9°27'22.7484"
21	21	द पू	78°46'18.2748"	9°27'20.6964"
22	22	द पू	78°46'17.6196"	9°27'18.7488"
23	23	द पू	78°46'16.9428"	9°27'17.8272"

IndiaCode

24	24 (एस4)	द पू थेरथंगल कन्मोई की दक्षिण पूर्वी सीमा जहां थेरथंगल दृष्टिकोण सड़क ग्राम की ओर विचलन होती है।	78°46'16.0428"	9°27'17.6256"
25	25	द	78°46'13.3932"	9°27'18.126"
26	26	द	78°46'12.0144"	9°27'18.4716"
27	27	द	78°46'9.8688"	9°27'19.3608"
28	28	द प	78°46'6.8772"	9°27'20.1024"
29	29 (एस5)	द प इनलेट चैनल के साथ थेरथंगल कन्मोई की दक्षिण पश्चिम टीप	78°46'4.926"	9°27'20.8044"
30	30	द प	78°46'4.8"	9°27'23.7348"
31	31	प	78°46'5.5488"	9°27'27.6084"
32	32	प	78°46'6.0204"	9°27'33.3756"
33	33	प	78°46'3.288"	9°27'33.6204"
34	34 (एस6)	प थेरथंगल कन्मोई की पश्चिमी सीमा	78°46'4.4904"	9°27'39.888"
35	35	प	78°46'5.3616"	9°27'44.3736"
36	36	प	78°46'5.9664"	9°27'47.5272"
37	37	प	78°46'6.42"	9°27'51.7068"
38	38	प	78°46'7.3668"	9°27'56.7108"
39	39	प	78°46'6.5676"	9°27'56.9664"
40	40	प	78°46'6.5928"	9°27'57.5028"
41	41	प	78°46'12.0324"	9°27'58.2156"
42	42	प	78°46'12.1944"	9°28'0.5844"
43	43	उ प	78°46'12.702"	9°28'3.5544"
44	44	उ प	78°46'12.1224"	9°28'3.5724"
45	45	उ प	78°46'12.6336"	9°28'9.0192"

IndiaCode

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/ दिशा	देशांतर	अक्षांश
1	1	उ प	78°45'54.648"	9°28'44.31"
2	2 (ई1)	उ टियागवनचेरी-कीलीथूर सड़क	78°45'59.8212"	9°28'44.076"
3	3	उ	78°46'6.0276"	9°28'41.7216"
4	4	उ	78°46'10.4484"	9°28'35.4036"
5	5	उ	78°46'9.3972"	9°28'30.3996"
6	6 (ई2)	उ कीलीयूर- इल्लीमूली सड़क	78°46'13.3788"	9°28'29.4564"
7	7	उ पू	78°46'21.774"	9°28'22.5408"
8	8	उ पू	78°46'23.322"	9°28'18.0948"
9	9	उ पू	78°46'28.416"	9°28'15.3192"
10	10	उ पू	78°46'34.0968"	9°28'9.2064"
11	11	पू	78°46'37.2792"	9°28'0.7356"
12	12 (ई3)	पू कीलीयूर- इल्लीमूली सड़क	78°46'39.6012"	9°27'54.5004"
13	13	पू	78°46'44.1552"	9°27'49.3308"
14	14	पू	78°46'46.5384"	9°27'43.2468"
15	15 (ई4)	पू इल्लीमूली –पनाईथूर सड़क	78°46'51.8628"	9°27'38.1708"

IndiaCode

16	16	पू	78°46'48.7632"	9°27'34.3152"
17	17	पू	78°46'45.66"	9°27'29.196"
18	18	पू	78°46'45.9444"	9°27'26.0424"
19	19	पू	78°46'45.2352"	9°27'20.952"
20	20	द पू	78°46'40.2132"	9°27'14.3568"
21	21	द पू	78°46'37.0272"	9°27'3.2508"
22	22	द पू	78°46'34.3992"	9°26'55.4532"
23	23 (ई5)	द पू बांध के साथ इल्लीमूली कन्मोई की दक्षिणी सीमा	78°46'30.4068"	9°26'54.7116"
24	24	द पू	78°46'20.0892"	9°26'53.052"
25	25	द पू	78°46'18.3144"	9°26'59.2368"
26	26 (ई6)	द रामनाद- नैनरकोविल सड़क पर थेरथंगव दृष्टिकोण सड़क का अवरोधन बिंदु	78°46'11.3304"	9°27'6.1452"
27	27	द	78°46'2.7732"	9°27'8.9028"
28	28	द	78°45'56.5812"	9°27'15.2748"
29	29	द	78°45'47.9952"	9°27'23.1804"
30	30	द प	78°45'40.3668"	9°27'27.918"
31	31 (ई7)	द प रामनाद- नैनरकोविल सड़क पर थेरथंगव दृष्टिकोण सड़क का अवरोधन बिंदु	78°45'32.1444"	9°27'29.7612"
32	32	द प	78°45'33.8652"	9°27'38.6244"
33	33	प	78°45'38.502"	9°27'48.6792"

IndiaCode

34	34	प	78°45'39.1176"	9°27'53.3988"
35	35	प	78°45'42.7932"	9°27'58.9212"
36	36 (ई8)	प टियगवेनचेरी कन्मोई का बांध	78°45'43.5528"	9°28'4.2204"
37	37	प	78°45'47.2284"	9°28'14.7216"
38	38	उ प	78°45'48.9816"	9°28'21.3384"
39	39	उ प	78°45'50.8572"	9°28'28.1136"
40	40	उ प	78°45'52.1928"	9°28'36.2676"
41	41	उ प	78°45'53.4744"	9°28'38.0928"
42	42	उ प	78°45'52.1028"	9°28'41.5632"

IndiaCode

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ थेरथंगल पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम नाम	तहसील/ तालुक	जिला	अक्षांश (डीएमएस प्रारूप)	देंशातर (डीएमएस प्रारूप)
1	थेरथंगल	रामानाथापुरम	रामानाथापुरम	9°27'21.02"	78°46'29.74"
2	थेरथंगल	रामानाथापुरम	रामानाथापुरम	9°28'24.43"	78°45'57.97"
3	इल्लीमूली	रामानाथापुरम	रामानाथापुरम	9°27'22.37"	78°46'47.25"
4	कीलीयूर	रामानाथापुरम	रामानाथापुरम	9°28'38.50"	78°46'7.18"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2019

S.O. 4499(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3262 (E), dated the 5th July, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 5th July, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Therthangal Bird Sanctuary otherwise known as "Therthangal Kanmai" is located in Nainarkoil taluk and a part of Therthangal village in Ramanathapuram district about 12 kilometres from Ramnad main town of southern Tamil Nadu. The Sanctuary is a resident for several species of migratory, resident birds and plants. Therthangal Bird Sanctuary lies between Latitude 09°27.499' N Latitude 078°45.536' E Longitude in the Ramanathapuram District of Tamil Nadu and extends over an area of 0.29295 square kilometre (29.29.5 ha). The Sanctuary was declared as Therthangal Bird Sanctuary *vide* G.O W6/220/E&F (FR.V) dated the 15th December, 2010 and notified as a Bird Sanctuary within the meaning and scope of sub-section (1) of section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, varieties of migratory birds arrive from various parts of the world for feeding and nesting purpose in the Sanctuary. About 15000 birds belonging to 42 species have been listed during the season and the important birds include white ibis, black ibis, open-billed stork, egrets, mynas, teals, ducks, darters, herons, pelicans, etc. The Bird Sanctuary has richness of near threatened species such as pelican, painted stork, Eurasian spoon bill, white ibis, darter, flamingo and water birds such as common coot, pin tail, garganey, egrets, cormorants, black winged stilt, kingfisher, common myna, brahminy kite, spotted owlet, etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary offers ideal habitat for winter migratory birds with considerable diversity in nesting and feeding behaviour for breeding and feeding. It is one of the preferred nesting sites for heronry species and colonial birds migrating to South India. The feathered visitors flock the Sanctuary from October to February. The wetland is irregular in depth and retains water for 3 to 5 months, if rain is normal. Envisaging successful management measures will attract more breeding species and wintering species to enhance the diversity which in turn will attract more tourists, birdwatchers and students. The best time to visit the Sanctuary for bird watching is November-January when bird population and species diversity is at the highest;

AND WHEREAS, the Sanctuary is basically an irrigation tank that is used for storing water for agriculture recharged by the northeast monsoons from October till January. The tank remains completely dry from March to August.

As the Sanctuary is an irrigation tank, there is no natural forest within the Sanctuary. Babul (*Acacia nilotica)* plantations were raised by the Forest Department. The other major flora in the tank bunds and foreshore are Nayurivi *(Achyranthes aspera* L.), Panai *(Borassus flabellifer* L.), Erukku *(Calotropis gigantean* L.) R. Br.), Avaram Avaarai *(Senna auriculata* L.) Roxb.), Puliya maram *(Tamarindus indica* L.), Nai kadugu, Nai vaelai *(Cleome viscosa* L.), Natvadumai, Naattu Badaam *(Terminalia catappa* L.), Neivelikatamanakku *(Ipomoea carnea* Jacq.), Rail poondu *(Croton bonplandianum* Baill.), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary being a irrigation tank has very less faunal species (except Avifauna) which include Indian grey mongoose *(Herpestes edwardsii)*, Indian palm squirrel *(Funambulus palmarum)*, jackal *(Canis aureus)*, black-naped hare *(Lepus nigricollis)* and bandicoot rat *(Bandicota bengalensis)*. The Sanctuary has good diversity of birds e.g. little grebe (*Tachybaptus ruficollis),* spot-billed pelican (*Pelecanus philippensis),* little cormorant (*Phalacrocorax niger),* great cormorant *(Phalacrocorax carbo),* darter *(Anhinga melanogaster),* little egret *(Egretta garzetta),* grey heron (*Ardea cinerea),* etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary has many species of butterflies, reptiles and amphibians. Example of reptiles include House gecko *(Hemidactylus frenatus),* spotted Indian gecko *(Hemidactylus brookii),* garden lizard *(Calotes versicolor),* green lizard *(Calotes calotes),* monitor lizard *(Varanus bengalensis),* common Indian skink *(Eutrophis carinata),* etc; example of amphibians are common Indian toad *(Duttaphrynus melanostictus),* ornate narrow mouthed frog *(Microhyla ornate),* common skittering frog *(Euphlyctis cyanophlyctis),* etc. The Sanctuary has important rare and threatened species. The rare species includes great cormorant *(Phalacrocorax carbo),* purple heron *(Ardea cinerea),* comb duck *(Sarkidiornis melanotos),* northern shoveller *(Anas clypeata),* common teal *(Abas crecca),* common redshank *(Tringa tetanus),* and common greenshank *(Tringa nebularia).* The threatened species present in the Sanctuary are spot-billed pelican (*Pelecanus philippensis)* and painted stork *(Mycteria leucocephala),* etc;

AND WHEREAS, Therthangal wetland is located in the Nainar Kovil block of Ramanathapuram district. Therthangal is the only village located in the vicinity of the sanctuary and is under the jurisdiction of Therthangal Panchayat. The total population of the village consists of 432 males and 424 females. There are 157 households in Therthangal village and nearly half of the total households were observed to be below poverty line;

AND WHEREAS, The landscape is mainly agrarian and the economy of the village is primarily dependent on agriculture. However, water stress and prolonged periods of drought has driven the villagers to pursue other sources of livelihood like working as porters (coolies). As a consequence, high rate of migration has also been observed in the surrounding areas in tune with the profile of the district. Livestock rearing such as goats, sheep, cow and poultry also supports the economy of the village. The village has 26 cattle, 387 goats/sheep and 222 poultry, approximately. Few villagers are also engaged in manufacturing charcoal to supplement their income during the lean season of agriculture;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Therthangal Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.3 kilometres to 1.17 kilometres around the boundary of Therthangal Bird Sanctuary, in Ramanathapuram district in the State of Tamil Nadu as the Therthangal Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.3 kilometres to 1.17 kilometres around the boundary of Therthangal Bird Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 4.5718 square kilometres.

 (2) The boundary description of Therthangal Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Therthangal Bird Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

 (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Therthangal Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panjayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

IndiaCode

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

IndiaCode

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

Income Code

15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of Fire Crackers.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Charcoal Burning.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1.)	The District Collector, Ramanathapuram	Chairman, ex officio;
(2.)	A representative of Non-government Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(3.)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(4.)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(5.)	A representative from State Public Works Department	Member;
(6.)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(7.)	Wildlife Warden, Gulf of Mannar Marine National Park, Ramanathapuram	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/09/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

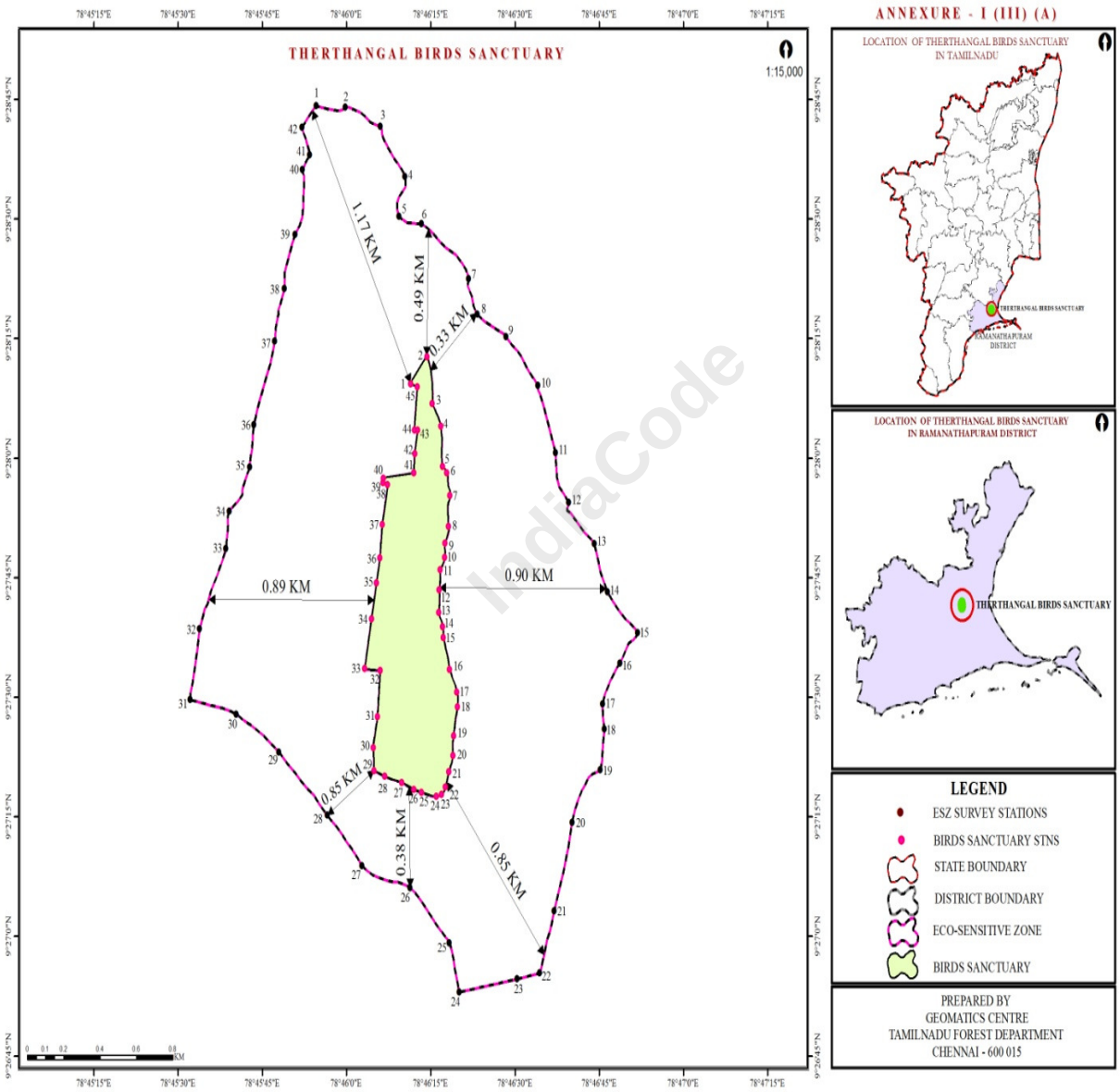
BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECOSENSITIVE ZONE OF THERTHANGAL BIRD SANCTUARY IN THE STATE OF TAMIL NADU

North	The boundary of the Eco—Sensitive Zone starts at a distance of 0.6 Km from the Sanctuary boundary a point intercepting on the Thiyagavancheri – Kiliyur village Road.
North East	Thence the boundary precedes southeast wards along the Kiliyur – Kulathur village road. in south eastern direction.
East	Thence the boundary starts from the point of bifurcation of Illimuli approach road from Kiliyur – Kulathur village road and proceeds southwards along the Ramnad – Illimuli village approach road till it touches the bund of the Illimuli Kanmoi.
South East	The boundary travels along the bund of Illimuli Kanmoi southwards. Further proceeds southwest direction to touch a point on the southernmost tip on the bund of Illimuli Kanmoi and then to a point on Ramnad - Nainarkovil State Highway.
South	Starts from the point on Ramnad - Nainarkovil State Highway which is 500 m. away from the Therthangal village approach road interception point on Ramnad - Nainarkovil State Highway. Thence the boundary proceeds westwards along the Ramnad – Nainarkovil state highway.
South West	Starts at a point of interception of Kiliyur village approach road on Ramnad – Nainarkovil state highway.
West	Thence the boundary travels northwards along the Kiliyur village approach road and then parallel and along the bund of Tiyagavancheri Kanmoi bund.
North West	The boundary travels along the Kiliyur village approach road until reaches the start point.

IndiaCode

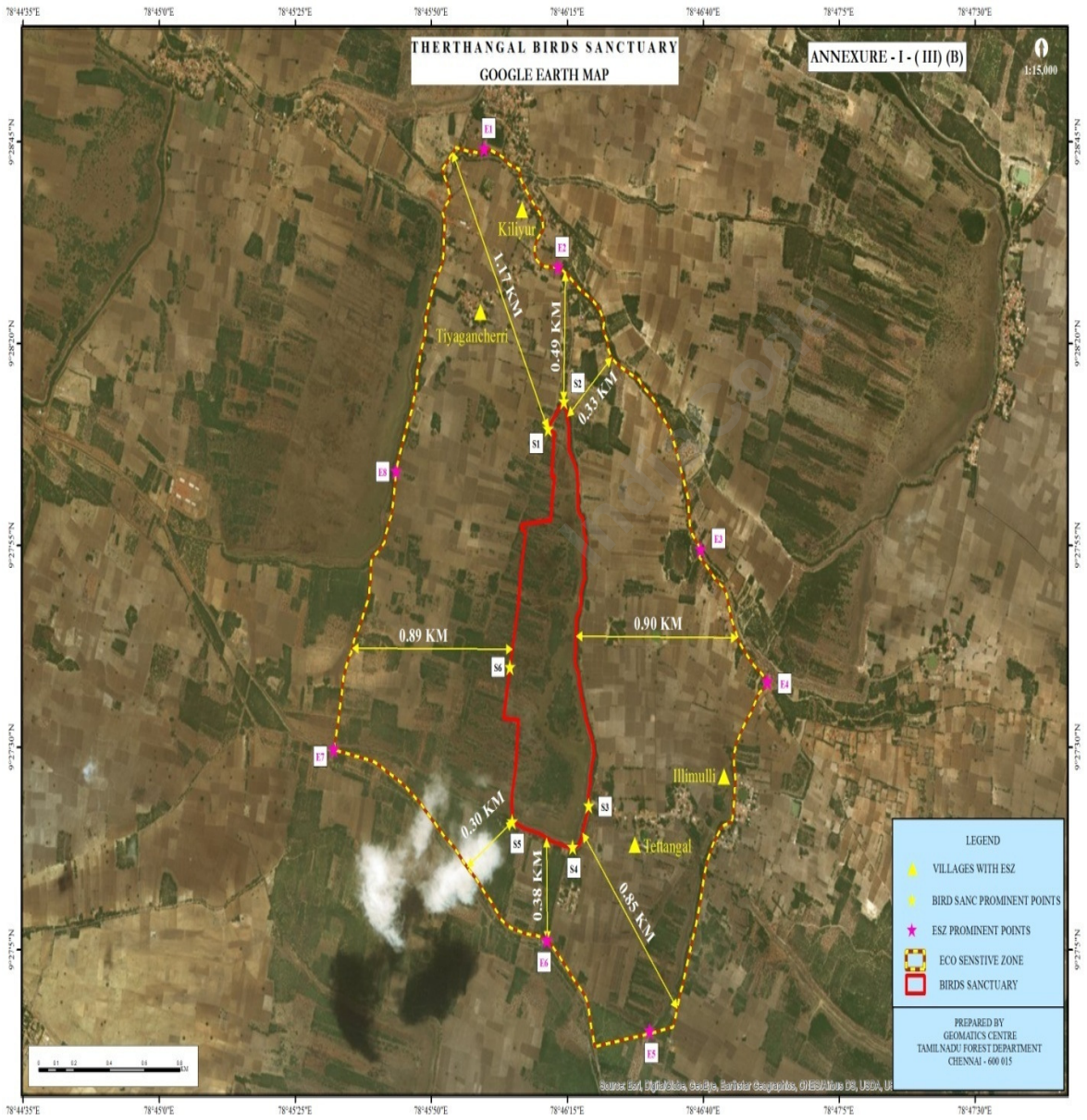
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF THERTHANGAL BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



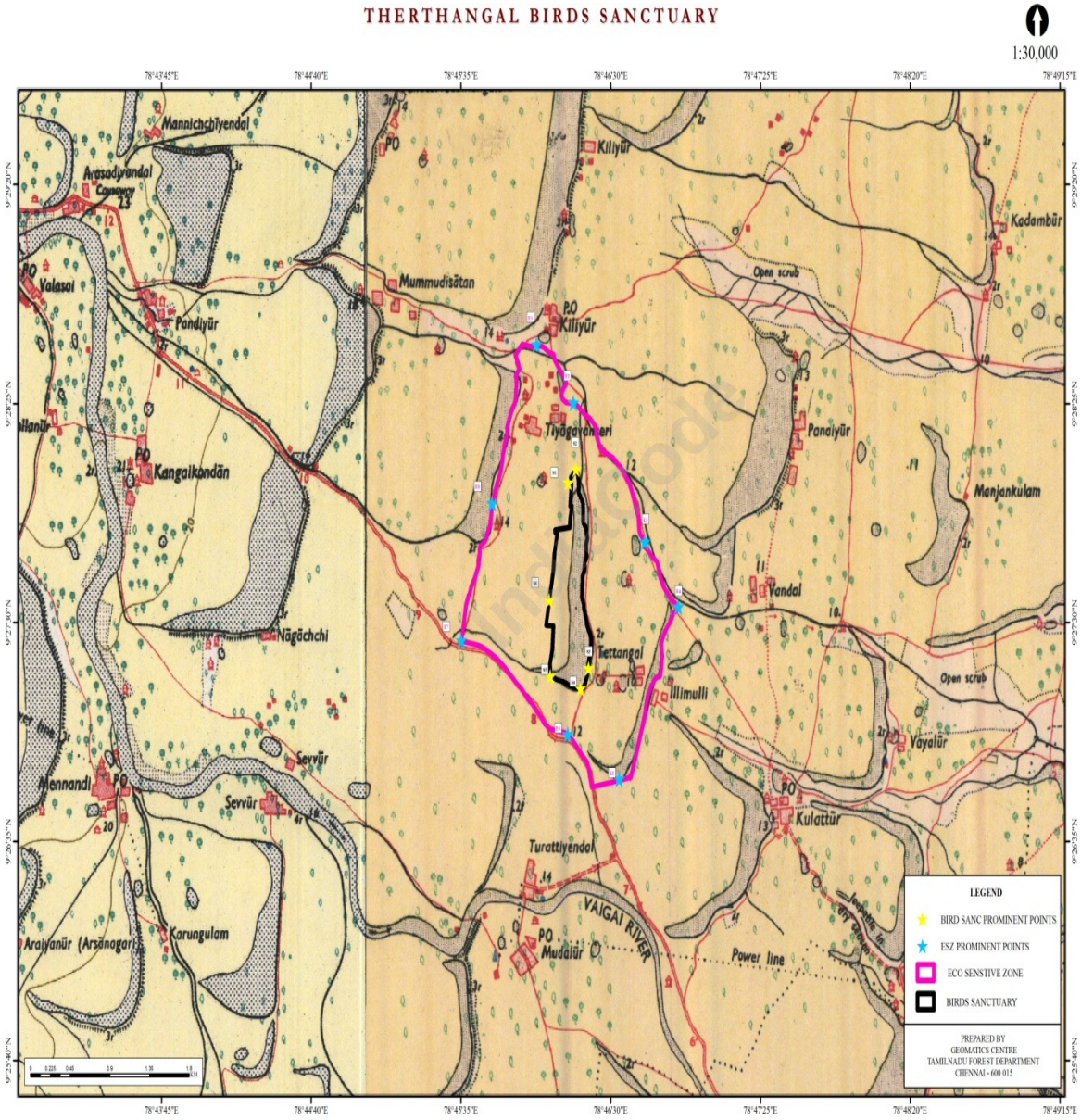
ANNEXURE-IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THERTHANGAL BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



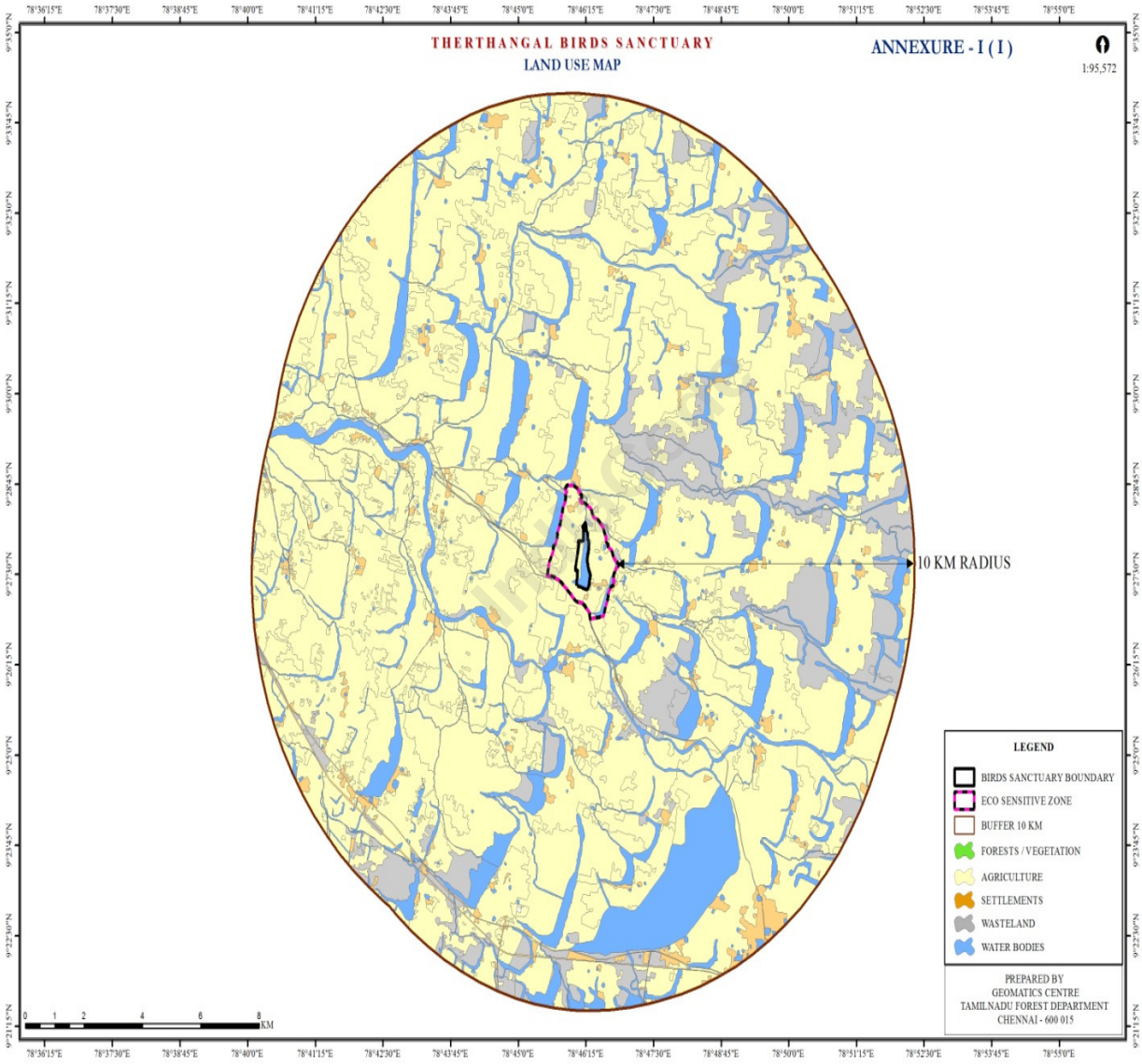
ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THERTHANGAL BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THERTHANGAL BIRD SANCTUARY AND 10 KM BUFFER ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THERTHANGAL BIRD SANCTUARY

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	1 (S1)	N North Western tip of Therthangal Kanmoi	78°46'11.496"	9°28'9.3792"
2	2 (S2)	N Northern tip of Therthangal Kanmoi along the Therthangal - Tiyagavancheri road	78°46'14.3868"	9°28'12.7668"
3	3	NE	78°46'15.3156"	9°28'6.9276"
4	4	NE	78°46'16.8276"	9°28'4.0908"
5	5	NE	78°46'17.1804"	9°27'59.0148"
6	6	NE	78°46'17.9184"	9°27'58.1976"
7	7	E	78°46'18.4728"	9°27'55.3824"
8	8	E	78°46'18.1992"	9°27'51.498"
9	9	E	78°46'17.58"	9°27'49.3632"
10	10	E	78°46'17.5044"	9°27'47.5704"
11	11	E	78°46'16.7304"	9°27'46.0512"
12	12	E	78°46'16.554"	9°27'43.5024"
13	13	E	78°46'16.4532"	9°27'40.6908"
14	14	E	78°46'17.1228"	9°27'38.9088"
15	15	E	78°46'17.3028"	9°27'37.5084"
16	16	E	78°46'18.408"	9°27'33.5196"
17	17	E	78°46'19.668"	9°27'30.654"
18	18	E	78°46'19.8192"	9°27'28.8504"
19	19	E	78°46'19.1172"	9°27'25.1964"
20	20 (S3)	SE Point on Eastern bund of Therthangal Tank Near the Overhead Water Tank	78°46'18.9876"	9°27'22.7484"
21	21	SE	78°46'18.2748"	9°27'20.6964"
22	22	SE	78°46'17.6196"	9°27'18.7488"
23	23	SE	78°46'16.9428"	9°27'17.8272"
24	24 (S4)	SE South eastern Boundary of Therthangal Kanmoi where the Therthangal approach road takes deviation towards village	78°46'16.0428"	9°27'17.6256"
25	25	S	78°46'13.3932"	9°27'18.126"

indiacode

26	26	S	78°46'12.0144"	9°27'18.4716"
27	27	S	78°46'9.8688"	9°27'19.3608"
28	28	SW	78°46'6.8772"	9°27'20.1024"
29	29 (S5)	SW South Western tip of Therthangal Kanmoi along the inlet channel	78°46'4.926"	9°27'20.8044"
30	30	SW	78°46'4.8"	9°27'23.7348"
31	31	W	78°46'5.5488"	9°27'27.6084"
32	32	W	78°46'6.0204"	9°27'33.3756"
33	33	W	78°46'3.288"	9°27'33.6204"
34	34 (S6)	W Western margin of Therthangal Kanmoi	78°46'4.4904"	9°27'39.888"
35	35	W	78°46'5.3616"	9°27'44.3736"
36	36	W	78°46'5.9664"	9°27'47.5272"
37	37	W	78°46'6.42"	9°27'51.7068"
38	38	W	78°46'7.3668"	9°27'56.7108"
39	39	W	78°46'6.5676"	9°27'56.9664"
40	40	W	78°46'6.5928"	9°27'57.5028"
41	41	W	78°46'12.0324"	9°27'58.2156"
42	42	W	78°46'12.1944"	9°28'0.5844"
43	43	NW	78°46'12.702"	9°28'3.5544"
44	44	NW	78°46'12.1224"	9°28'3.5724"
45	45	NW	78°46'12.6336"	9°28'9.0192"

Indiacode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S.No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Longitude	Latitude
1	1	NW	78°45'54.648"	9°28'44.31"
2	2 (E1)	N Tiyagavancheri - Kiliyur Road	78°45'59.8212"	9°28'44.076"
3	3	N	78°46'6.0276"	9°28'41.7216"
4	4	N	78°46'10.4484"	9°28'35.4036"
5	5	N	78°46'9.3972"	9°28'30.3996"
6	6 (E2)	N Kiliyur - Illimuli Road	78°46'13.3788"	9°28'29.4564"
7	7	NE	78°46'21.774"	9°28'22.5408"
8	8	NE	78°46'23.322"	9°28'18.0948"
9	9	NE	78°46'28.416"	9°28'15.3192"
10	10	NE	78°46'34.0968"	9°28'9.2064"
11	11	E	78°46'37.2792"	9°28'0.7356"

12	12 (E3)	E Kiliyur - Illimuli Road	78°46'39.6012"	9°27'54.5004"
13	13	E	78°46'44.1552"	9°27'49.3308"
14	14	E	78°46'46.5384"	9°27'43.2468"
15	15 (E4)	E Illimulli - Panaiyur Road	78°46'51.8628"	9°27'38.1708"
16	16	E	78°46'48.7632"	9°27'34.3152"
17	17	E	78°46'45.66"	9°27'29.196"
18	18	E	78°46'45.9444"	9°27'26.0424"
19	19	E	78°46'45.2352"	9°27'20.952"
20	20	SE	78°46'40.2132"	9°27'14.3568"
21	21	SE	78°46'37.0272"	9°27'3.2508"
22	22	SE	78°46'34.3992"	9°26'55.4532"
23	23 (E5)	SE Southern boundary of Illimuli Kanmoi along the bund	78°46'30.4068"	9°26'54.7116"
24	24	SE	78°46'20.0892"	9°26'53.052"
25	25	SE	78°46'18.3144"	9°26'59.2368"
26	26 (E6)	S Intersection point of Therthangal approach road on Ramnad - Nainarkovil road	78°46'11.3304"	9°27'6.1452"
27	27	S	78°46'2.7732"	9°27'8.9028"
28	28	S	78°45'56.5812"	9°27'15.2748"
29	29	S	78°45'47.9952"	9°27'23.1804"
30	30	SW	78°45'40.3668"	9°27'27.918"
31	31 (E7)	SW Intersection point of Tiyagavancheri approach road on Ramnad - Nainarkovil road	78°45'32.1444"	9°27'29.7612"
32	32	SW	78°45'33.8652"	9°27'38.6244"
33	33	W	78°45'38.502"	9°27'48.6792"
34	34	W	78°45'39.1176"	9°27'53.3988"
35	35	W	78°45'42.7932"	9°27'58.9212"
36	36 (E8)	W Bund of Tiyagavencheri Kanmoi	78°45'43.5528"	9°28'4.2204"
37	37	W	78°45'47.2284"	9°28'14.7216"
38	38	NW	78°45'48.9816"	9°28'21.3384"
39	39	NW	78°45'50.8572"	9°28'28.1136"
40	40	NW	78°45'52.1928"	9°28'36.2676"
41	41	NW	78°45'53.4744"	9°28'38.0928"
42	42	NW	78°45'52.1028"	9°28'41.5632"

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF THERTHANGAL BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No	Village Name	Tehsil/ Taluk	District	Latitude (DMS format)	Longitude (DMS format)
1	Therthangal	Ramanathapuram	Ramanathapuram	9°27'21.02"	78°46'29.74"
2	Tiyagancheri	Ramanathapuram	Ramanathapuram	9°28'24.43"	78°45'57.97"
3	Illimulli	Ramanathapuram	Ramanathapuram	9°27'22.37"	78°46'47.25"
4	Killiyur	Ramanathapuram	Ramanathapuram	9°28'38.50"	78°46'7.18"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.20 15:56:34 +05'30'